

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-06-08.

मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 242]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 17 मई 2008—वैशाख 27, शक 1930

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 मई 2008

क्र. एफ-1-40-05-सात-शा. 6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा दिनांक 17 मई 2008 से झाबुआ जिले की सीमाएं, उसमें से सम्पूर्ण अलीराजपुर, जोबट तथा भावरा तहसीलों को अपवर्जित करते हुए, परिवर्तित करती है और उक्त दिनांक से सम्पूर्ण अलीराजपुर, जोबट तथा भावरा तहसीलों को समाविष्ट करते हुए, **नवीन अलीराजपुर जिले** का सृजन करती है. उक्त जिले का मुख्यालय अलीराजपुर में होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. पी. राही, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 17 मई 2008

क्र. एफ-1-40-05-सात-शा. 6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के आदेश क्र. एफ-1-40-05-सात-शा. 6 दिनांक 17 मई 2008 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जा रहा है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. पी. राही, उपसचिव.

Bhopal, the 17th May 2008

No. F-1-40-VII-05-S. 6.—In Exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 13 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government, hereby, alter the limits of Jhabua District with effect from the 17 May, 2008 by excluding therefrom the whole of Alirajpur, Jobat and Bhavra tehsils and create a **new district Alirajpur** comprising of the whole of Alirajpur, Jobat and Bhavra tehsils with effect from the said date. The headquarter of the said district shall be at Alirajpur.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
K. P. RAHI, Dy. Secy.

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-06-08.

मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 252]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 24 मई 2008—ज्येष्ठ 3, शक 1930

राजस्व विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 15 मई 2008
आदेश

क्र. एफ-1-1-07-सात-शा-6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20, सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा दिनांक 24 मई 2008 से सीधी जिले की सीमाएँ, उसमें से सम्पूर्ण देवसर, चितरंगी तथा सिंगरौली तहसीलों को अपवर्जित करते हुए परिवर्तित करती है और उक्त दिनांक से सम्पूर्ण देवसर, चितरंगी तथा सिंगरौली तहसीलों को समाविष्ट करते हुए **नवीन सिंगरौली जिले** का सृजन करती है. उक्त जिले का मुख्यालय बैढन में होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. पी. राही, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 15 मई 2008

क्र. एफ-1-1-07-सात-शा-6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की सूचना क्र. एफ-1-1-07-सात-शा-6, दिनांक 15 मई 2008 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. पी. राही, उपसचिव.

Bhopal, the 15th May 2008

! ORDER

No. F-1-1-2007-VII-S.6.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 13 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government, hereby, alter the limits of Sidhi District with effect from the 24th May 2008 by excluding there from the whole of Devsar, Chitrangi and Singrauli Tehsils and create a **new District Singrauli** comprising of the whole of Devsar, Chitrangi and Singrauli Tehsils with effect from the said date. The headquarter of the said district shall be at Waidhan.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
K. P. RAHI, Dy. Secy.

503

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2008.